218

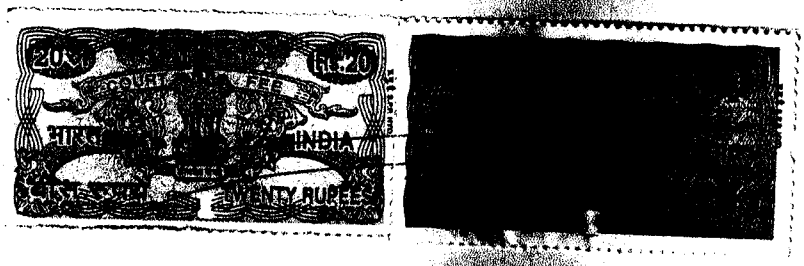

[redacted]

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

श्रीमति गिंदिया चमार पत्नि कमला चमार R-611-I-17
निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर
...............निगरानीकर्ता / आवेदिका

विरूद्ध

म.प्र.शासन
.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

दिनांक 8-2-17 को श्री जितेन्द्र सिरवई अभि० द्वारा प्रस्तुत। 8-2-17

उपरोक्त नामांकित **निगरानीकर्ता न्यायालय** श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 167/बी–121/**15–16 से** दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह **निगरानी श्रीमान्** के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त **में तथ्य इस** प्रकार है कि ग्राम लखेरी स्थित भूमि खसरा क्र 1509/2/2 **रकवा 0.717 हे. भूमि** आवेदिका को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको **भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त** किए गए है। उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय किए जाने **हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता** द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष **प्रस्तुत किया** गया। आवेदन पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त **भूमि** ग्राम लखेरी में स्थित है तथा अनुउजाउ भूमि है जिस कारण से वह भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रही है तथा उसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए पैसों की आवश्यकता है जिस कारण से वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना चाहता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(जितेन्द्र सिरवई एड.)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R611 –एक/17.....जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.2.17	1– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 167/ बी–121/ वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा लखेरी खसरा क्र 1509/2/2 रकवा 0.718 हे में स्थित है जो कि उसको पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 3– आवेदिका द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके तथा वह अपनी पुत्री का सही तरीके से विवाह कर सके। आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि को विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बल्कि उसके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेद्रिका का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में अपना इलाज एंव पुत्री का विवाह नहीं कर पा रही है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का इकरार राजीव तनय परमानंदी गौतम निवासी खुजराहो तह. राजनगर पार्टनर सांई केयर माईनिंग एण्ड मिनिल्स लखेरी से किया गया है तथा वह भूमि को विक्रय इकरारग्रहिता को करना चाहती है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदिका द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका की प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। साथ ही साथ आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे भी अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदिका को ग्राम मौजा लखेरी खसरा क्र 1509/2/2 रकवा 0.718 हे स्थित भूमि	

श्रीमति गिंदिया विरूद्व म.प्र.शासन

R 611. 5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजीव तनयं परमानंदी गौतम निवासी खुजराहो तह. राजनगर पार्टनर सांई केयर माईनिंग एण्ड मिनिल्स लखेरी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उपपंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य एम.के.सिंह राजस्व मंडल म.प्र ग्वालियर	